डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2018-20

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 16 मार्च, 2020, डिस्पेच दिनांक 16 मार्च, 2020

| वर्ष 63 | अंक 20 | भोपाल | 16 मार्च, 2020 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/– | आजीवन शुल्क 1500/– |

सहकारिता के विकास पर मंथन के लिये सहकारी सम्मेलन प्रभावी और प्रेरक मंच

सहकारी सम्मेलन एवं आर.पी.एल. प्रशिक्षार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित

जबलपुर। सहकारिता की समस्याओं व विकास पर विचार मंथन के लिये सहकारी सम्मेलन एक प्रभावी और प्रेरक मंच होता है। इसके माध्यम से सहकारिता आंदोलन के विभिन्न विकासशील कार्यक्रमों पर एक सार्थक सोच बन सकती है। ये विचार विधायक विनय सक्सेना ने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक जबलपुर के सभागार में सहकारी सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किये।

सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय सहकारी संघ नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल के संयुक्त तत्वावधान में सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, जबलपुर द्वारा सहकारिता में नवाचार विषय को लेकर किया गया। इस अवसर पर विधायक द्वारा एन.एस.डी.सी. नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत आर.पी.एल. प्रशिक्षण में सफल प्रशिक्षार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किये गये। उन्होंने कहा कि विक्रेताओं को विक्रय प्रबंध के आधुनिक और समुचित ज्ञान हेतु ऐसे प्रशिक्षण सराहनीय पहल है।

आयोजन की अध्यक्षता करते हुए सहकारिता के उप आयुक्त शिवम मिश्रा ने कहा कि सफल सहकारिता के लिये कुशल सहकारिता आवश्यक है और इसके लिये प्रशिक्षण सशक्त माध्यम है। नन्हेंलाल धुर्वे पूर्व विधायक बरगी, नूतन पाण्डे अध्यक्ष महिला नागरिक सहकारी बैंक, श्रवण कुमार दीपावरे अध्यक्ष जबलपुर विद्युत प्रमंडल कर्म. सहकारी साख समिति, कृपा शंकर वर्मा पूर्व अध्यक्ष महाकौशल ट्रांसपोर्ट (एमपीटीएस) सह–कारिता, सहकारी चिन्तक व साहित्यकार राजेश पाठक प्रवीण, पंकज गुप्ता क्षेत्रीय प्रबंधक म.प्र. राज्य सहकारी बैंक, ज्ञानेन्द्र पाण्डे महा प्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जबलपुर ने भी विशेष अतिथि के रूप में अपने संबोधन में सम्मेलन के आयोजन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के सफल प्रशिक्षार्थियों के प्रति अपनी हार्दिक शुभकामनायें व्यक्त की। सम्मेलन में मुख्य अतिथि सहित समस्त विशेष अतिथियों को म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से शाल, श्रीफल और प्रतीक चिन्हों से सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम के प्रारंभ में स्वागत भाषण सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर के प्राचार्य यशोवर्धन पाठक ने दिया। सम्मेलन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की उपयोगिता व महत्व पर प्रकाश व्याख्याता एस.के. चतुर्वेदी द्वारा डाला गया। कार्यक्रम का संचालन संयोजक और व्याख्याता व्ही.के. बर्वे ने किया। अंत में आभार प्रदर्शन राज्य सहकारी संघ के राज्य समन्वयक संतोष येडे द्वारा किया गया।

सम्मेलन के प्रभावी आयोजन में जिला सहकारी संघ के प्रबंधक राकेश बाजपेयी एवं केन्द्र के प्रशिक्षक रीतेश कुमार, चेतन गुप्ता, एन.पी. दुबे, शोभित ब्यौहार, पीयूष राय, कैलाश कहार, राहुल नगरिया आदि का सहयोग सराहनीय रहा।

राज्य सहकारी संघ में स्वान नेटवर्क

शुरू होगा ऑनलाइन प्रशिक्षण

भोपाल। सहकारिता विभाग की पहल पर म.प्र. राज्य सहकारी संघ भोपाल में स्वान नेटवर्क प्रारंभ होने से सहकारी क्षेत्र में ऑनलाइन प्रशिक्षण की शुरूआत होने जा रही है।

आवश्यकता क्यों ?

सहकारी संस्थाओं में पदस्थ कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण की सुचारू व्यवस्था न होने तथा सहकारी अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत सभी संचालकों एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण नियमित अवधि में कराये जाने की वैधानिक आवश्यकता के तहत प्रशिक्षण की एक सुचारू, सुविधाजनक अपने कार्य के साथ–साथ प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं आर्थिक रूप से सस्ती व्यवस्था की आवश्यकता महसूस हो रही थी।

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ सहकारी संस्थाओ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु चिन्हित शीर्ष सहकारी संस्था है, जिसका दायित्व सभी संस्थाओं में सभी प्रकार के प्रशिक्षण को उनकी आवश्यकता के अनुसार संचालित करना है। इसी तारतम्य के तहत राज्य सहकारी संघ द्वारा ऑनलाईन प्रशिक्षण का एक मॉडल पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में करने की योजना बनाई है जिसके अंतर्गत HITACHI – MGRM Net Ltd, के ई गवर्नेस प्लेटफार्म फा इम्पलाईज ट्रेनिंग साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन प्रशिक्षण संचालित किया जावेगा।

क्या सुविधा होगी ?

प्रशिक्षण में प्रतिभागी अपने कार्य के साथ साथ केवल 90 मिनट प्रतिदिन का प्रशिक्षण कार्य स्थान या संबंधित जिले के मुख्यालय पर प्राप्त कर सकते है।

कर्मचारियों एवं पदा–धिकारियों को 3 माह या 6 माह के प्रशिक्षण के लिए उनके कार्य स्थल से पृथक कर प्रशिक्षण कराने के तहत व्यवहारिक समस्याओं के कारण क्रियान्वित नहीं हो पा रहा है। जिससे सहकारिता क्षेत्र में अप्रशिक्षित कर्मचारी / पदा– धिकारियों द्वारा संस्थाओं का संचालन किया जा सकेगा।

ऑनलाईन प्रशिक्षण होने से संस्था के कर्मचारी को आने–जाने का किराया, रूकने एवं खाने–पीने के व्यय की बचत होगी। इसी प्रकार ऑनलाईन प्रशिक्षण के माध्यम से संघ द्वारा सभी पदाधिकारी / कर्मचारियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समयावधि में प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकेगा।

(शेष पृष्ठ 2 पर)

सहकारी बैंकों में कम्प्यूटर ऑपरेटर्स की संविदा अवधि छः माह बढ़ाने के निर्देश

भोपाल। आयुक्त सह–कारिता डॉ. एम.के. अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश के सहकारी बैंकों में लगभग 650 कम्प्यूटर ऑपरेटर्स को नियमित नियुक्तियां होने की अवधि तक के लिये संविदा पर रखा गया था। जून 2018 में सहकारी बैंकों में नियमित नियुक्तियां हो जाने के बाद इनकी सीमाएँ समाप्त हो गयी थीं। इसके बाद सहकारी बैंकों में विभिन्न कार्यों के लिये छः–छः माह की अवधि के लिये कम्प्यूटर ऑपरेटर्स को संविदा पर रखा जाता रहा।

गेहूँ उपार्जन के कार्य को देखते हुए जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में पूर्व में कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर्स की संविदा अवधि छः माह बढ़ाने के निर्देश दिये है।

प्रगति के पथ पर अग्रसर : अपेक्स बैंक

समृद्धि आपकी, योजनाएं हमारी

म.प्र. राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) अपने सम्माननीय ग्राहकों को बैंक की 24 शाखाओं के माध्यम से समस्त प्रकार की अमानत एवं ऋण सुविधायें उपलब्ध करा रहा है। साथ ही 38 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों व उनकी 829 शाखाओं सहित ग्रामीण स्तर पर 4523 प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों के माध्यम से प्रदेश के 28 लाख किसानों को फसल ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत 17 हजार उचित मूल्य की दुकानों का संचालन किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश शासन की ''जय किसान फसल ऋण माफी योजना'' में सहकारी समितियों के 18.28 लाख किसानों के राशि रूपये 7086.00 करोड़ के ऋण माफ किये जा चुके हैं तथा 37 लाख किसान केडिट कार्ड का वितरण भी किया गया है।

म.प्र. राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) द्वारा वर्ष 2019–20 में सहकारी समितियों के माध्यम से राशि रू.10529.00 करोड़ का फसल ऋण ''0'' प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को उपलब्ध कराया गया है । रबी 2019–20 में अब तक सहकारी समितियों द्वारा 12.54 लाख मी0टन खाद कृषकों को उपलब्ध कराया गया है, जबकि गतवर्ष इसी अवधि तक 9.72 लाख मी0टन खाद किसानों को उपलब्ध कराया गया था। इस प्रकार गतवर्ष की तुलना में 2.82 लाख मी0टन अधिक खाद कृषकों को इस वर्ष उपलब्ध कराया गया है । इसी प्रकार वर्ष के दौरान समर्थन मूल्य पर 21 लाख किसानों से 109 लाख टन धान, गेहूं, दलहन, तिलहन आदि की खरीदी भी सहकारी समितियों द्वारा की गई है ।

उल्लेखनीय है कि केन्द्र शासन, राज्य शासन, शासकीय निगम, मण्डल, बोर्ड, समस्त सहकारी बैंकों/संस्थाओं एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के नियमित कर्मचारियों को आवास ऋण 9 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर एवं समस्त प्रकार के ऋण यथा – उपभोक्ता ऋण, व्यक्तिगत ऋण, वाहन ऋण, उच्च शिक्षा ऋण, भ्रमण हेतु ऋण, आभूषणों के तारण पर ऋण, चिकित्सा हेतु ऋण, परियोजना ऋण, त्यौहार ऋण एवं अचल सम्पत्ति के बंधक पर ऋण की सुविधायें मात्र 9.5 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर प्रदेश में स्थित समस्त 24 अपेक्स बैंक की शाखाओं से उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके साथ ही ''सीनियर सिटीजन'' (वरिष्ठ नागरिकों) को 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज सावधि जमा पर दिया जा रहा है तथा लॉकर्स की सुविधा भी न्यूनतम दरों पर उपलब्ध हैं।

बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं एवं सुविधाओं आदि के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु नाबार्ड परियोजनान्तर्गत एक मोबाईल वेन का शुभारम्भ भी हाल में किया गया है। अपेक्स बैंक भोपाल में मुख्यालय स्तर पर केन्द्रीयकृत सी.टी.एस.क्लियरिंग व्यवस्था स्थापित की गई है, जिसके तहत सभी शाखाओं की इनवर्ड क्लियरिंग मुख्यालय स्तर से ही की जा रही है। आउटवर्ड क्लियरिंग व्यवस्था के अन्तर्गत प्रारंभिक तौर पर भोपाल स्थित सभी शाखाओं को मुख्यालय से सम्बद्ध किया गया है। अपेक्स बैंक के ग्राहकों को आई.टी. के माध्यम से सेवायें यथा एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस एवं एटीएम उपलब्ध हैं। बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के लिये ''एप'' के माध्यम से मोबाईल बैंकिंग सुविधा लागू की गई है, जिससे अब ग्राहकों को बैंकिंग सुविधा उनके मोबाईल पर उपलब्ध है। आरटीजीएस के माध्यम से फण्ड ट्रांसफर की सुविधा के अतिरिक्त आईएमपीएस की सुविधा ग्राहकों को घर बैठे उपलब्ध है । शीर्ष बैंक अपने ग्राहकों को शीघ्र ही यूपीआई के माध्यम से भुगतान/अन्तरण की सुविधा एवं फास्ट टेग की सुविधा उपलब्ध कराने जा रहा है।

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ, अपेक्स बैंक)

जय किसान फसल ऋण माफी योजना

आवेदक को सी.एम. हेल्पलाइन/ऋण माफी पोर्टल पर मिलेगी स्टेटस रिपोर्ट

भोपाल। राज्य शासन ने जय किसान फसल ऋण माफी योजना में आवेदकों को उनके आवेदन की वर्तमान स्थिति (स्टेटस रिपोर्ट) की जानकारी सी.एम. हेल्पलाइन/ऋण माफी पोर्टल <www-cmlws-mp-online-gov-in> के माध्यम से दिये जाने का निर्णय लिया है। प्रमुख सचिव किसान कल्याण एवं कृषि विकास श्री अजीत केसरी ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एम.पी. ऑनलाइन को इस बारे में विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये हैं।

दिशा–निर्देशों के अनुसार एम.पी. ऑनलाइन संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास तथा सी.एम. हेल्पलाइन के अधिकारियों से समन्वय कर तकनीकी बिन्दुओं के संबंध में जानकारी भेजने और प्राप्त करने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। इस व्यवस्था में आवेदक द्वारा सी.एम. हेल्पलाइन पर फोन करके अपना ऋण माफी सीरियल नंबर/मोबाइल नंबर बताये जाने पर उसे प्रकरण की वर्तमान स्थिति बताई जाएगी। आवेदक के प्राप्त जानकारी से संतुष्ट नहीं होने पर उसका आवेदन एल–1 श्रेणी अर्थात अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के पास दर्ज किया जाएगा। वहां भी 15 दिन में निराकरण नहीं होता है, तो आवेदन उप संचालक के पास भेज जाएगा। उप संचालक द्वारा 15 दिन में निराकरण नहीं किये जाने पर जिला कलेक्टर के पास आवेदन भेजा जाएगा। यदि कलेक्टर द्वारा 15 दिन की समय–सीमा में भी आवेदन का निराकरण नहीं होता है, तो आवेदन संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास के पास भेजा जाएगा।

सी.एम. हेल्पलाईन के सभी प्रकरणों की अद्यतन सूचना जय किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत वर्गीकृत की जाएगी। इस योजना की मॉनीटरिंग अलग से की जाएगी।

(पृष्ठ 1 का शेष)

शुरू होगा ऑनलाइन प्रशिक्षण

प्रारंभ में किसका होगा प्रशिक्षण

ऑनलाईन प्रशिक्षण हेतु पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के प्रबंधकों को प्रबंधकीय दक्षता का प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। जिसमें कुल 9 माह में 180 लेक्चर के माध्यम से सम्पन्न किया जायेगा। इसी प्रशिक्षण सत्र में 60 क्लास सामान्य लेखा प्रणाली पर होगी तथा 60 क्लास कम्प्यूटर, ई–कोआपरेटिव, ई–उपार्जन आदि पर संचालित होगी। इसी तरह से शेष 60 क्लास पैक्स व्यवसाय विकास, लागत लाभ प्रबंधन एवं पैक्स की प्रबंधकीय कार्य प्रणाली इसी कार्यक्रम के तहत प्रत्येक 3 माह में एक्जाम आयोजित किया जयेगा तथा प्रशिक्षण समाप्ति के उपरान्त पैक्स प्रतिभागी को कोआपरेटिव मैनेजमेंट पर डिप्लोगा प्रमाण पत्र दिया जायेगा।

पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 5 जिलों के कुल 50 (प्रत्येक से 10) प्रबंधकों को चिन्हित किया जाना है। ये प्रबंधक अपना प्रशिक्षण संबंधित जिला सहकारी बैंक की लैब में प्रतिदिन 90 मिनट सायं 4.20 बजे से लेकट 5.50 बजे तक प्राप्त करेंगे। इसके अलावा सहकारिता विभाग तथा अन्य सहकारी संस्थाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये भी प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य सहकारी संघ द्वारा तैयार किये जा रहे है।

नववाई न जलाने की कृषकों से अपील

गेहूँ काटने के बाद बचे हुये अवशेष (खापा/डूढ़/डंठल) जलाना खेती के लिये आत्मघाती कदम सिद्ध हो सकता है। इससे अन्य खेतो में अग्नि दुर्घटना की संभावना रहती है किन्तु मिट्टी की उर्वरकता पर भी विपरीत असर पड़ता है। इसके साथ ही धुएँ से कार्बन डाय–आक्साइड से तापक्रम बढता है ओर प्रदूषण वृद्धि भी होती है।

किसानों से अपील की है कि वे किसी भी स्थिति में नरवाई न जलायें। उर्वरक परत लगभग 6 इंच की उपरी सतह पर ही होती है, इसमें तरह–तरह जीवाणु उपस्थित रहते है। जो खेती को कई तरीके से लाभ पहुचाते है, नरवाई जलाने से उत्पन्न उच्च तापमान में उपजाऊ मिट्टी की दशा ईट बनाने की प्रकिया की तरह कड़ी और जीवाणु रहित होती जाती है। जो धीरे–धीरे बंजरता की ओर बढने लगती है।

नरवाई जलाने की अपेक्षा यदि फसल अवशेषों और ड़ठलो को एकत्र कर जैविक खाद जैसे भू–नाडेप,वर्मी कम्पोस्ट आदि बनाने में उपयोग किया जाये तो यह बहुत जल्दी सड़कर पोषक तत्वों से भरपूर खाद बना सकते है। इसके अतिरिक्त खेत में कल्टीवेटर, रोटावेटर या डिस्क हेरो की सहायता से फसल अवशेषो को भूमि में मिलाने से आने वाली फसलों में जीवांश के रूप में बचत की जा सकती है। इस हेतु किसान हलधर योजना का लाभ लेकर गहरी जुताई भी कर सकते है। किसान सामान्य हार्वेस्टर से गेहूँ कटवाने के स्थान पर स्ट्रारीपर एवं हार्वेस्टर का उपयोग करे तो पशुओं के लिये भूसा व खेत के लिये बहुमूल्य पौषक तत्वों की उपलब्धता बढने के साथ मिट्टी की संरचना को बिगडने से भी बचाया जा सकता है। दूसरी और नरवाई जलाने से अपनी या अन्य किसानों की फसल, घर,मवेशी आदि को भी नुकसान पहुँच सकता है।

किसानों को हार्वेस्टर पर भी मिलेगा अनुदान

रतलाम। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष प्रदेश के किसानों को कम्बाइंन हार्वेस्टर खरीदने पर अनुदान दिया जायेगा। किसानों को कृषि यंत्रों पर दिये जाने वाले अनुदान में वृद्धि की गई है। अब लघु सीमांत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर कुल कीमत का 50 प्रतिशत तथा अन्य किसानों को 40 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। प्रदेश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा वेयर हाउस में भण्डारित किसान के आनाज पर ऋण देने की सुविधा दी है। किसान को उसकी कृषि उपज मंडी का उचित मूल्य मिलने पर वेयर हाउस उपज रखने की सुविधा दी गई है। एक फसल मौसम तक वेयर हाउस में किसान द्वारा उपज रखने पर उसका शुल्क राज्य सरकार देगी।

उपायुक्त सहकारिता श्री वैद्य ने समर्थन मूल्य पर खरीदी कार्य की तैयारियों की समीक्षा की

झाबुआ। समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदी की समीक्षा बैठक जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के सभा कक्ष में उपायुक्त सहकारिता श्री अम्बरीष बैद्य की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में बताया कि जिले में विगत वर्ष 10 हजार कृषको ने पंजीयन कराया था, तथा विगत वर्ष कुल 16826 मैट्रिक टन गेहूँ की खरीदी हुई थी, जिसके प्रभाव से कृषकों को 31 करोड रूपए का भुगतान उनके खाते में जमा हुआ था। इस वर्ष बारिश की अनुकूलता के कारण अधिकतम पदैवार का आंकलन कृषि विभाग ने किया है। इस उत्साहवर्द्धक स्थिति पर तत्काल संज्ञान लेते हुए कलेक्टर श्री सिपाहा ने उपायुक्त सहकारिता एवं खाद्य विभाग के आपूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि आगामी 25 मार्च से होने वाली खरीदी की पूर्ण तैयारियों की तत्काल समीक्षा की जाए।

कलेक्टर श्री प्रबल सिपाहा के निर्देश पर सहकारिता उपायुक्त श्री अम्बरीष वैद्य, खाद्य आपूर्ति अधिकारी श्री मुकुल त्यागी एवं सहकारी बैंक के महाप्रबंधक डी.आर.सरोठिया ने जिले के लिए निर्धारित 18 केन्द्रो के प्रभारियों की विस्तृत समीक्षा यह कार्यशाला का आयोजन किया। जिसमें आगामी 22 मई तक अनावरत रूप से चलने वाली इस प्रक्रिया में प्रत्येक बिंदु को बारिकी के साथ समझाया गया।

आयोजित कार्यशाला में मार्कफेड, जो कि राज्य शासन द्वारा अधिकृत खरीदी ऐजेंसी है के जिला विपणन अधिकारी ने उनके स्तर से भण्डारण –परिवहन सहित विभिन्न बिंदुओ पर जानकारियों को विस्तार से रखा गया। कलेक्टर श्री सिपाहा ने उपायुक्त सहकारिता श्री अम्बरीष वैद्य सहित उपार्जन कार्य के समानांतर समस्त अधिकारियों को पृथक से निर्देशित किया है कि खरीदी केन्द्रो में आने वाले कृषकों को छाया, पेयजल एवं उपज की साफ सफाई के लिए आवश्यक उपकरण जैसे छलनी, परखी तौलकांटा आदि की व्यवस्था अनिवार्यतः कराई जाए।

सहकारिता उपायुक्त श्री वैद्य एवं आपूर्ति अधिकारी श्री त्यागी ने इस खरीदी में निरीक्षण और समन्वय की ''चाक चौबंद'' व्यवस्था के लिए खरीदी केन्द्रवार नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी की है ताकि गेहूँ की गुणवत्ता आदि के विवाद मौके पर ही हल कर लिए जाए। बैंक महाप्रबंधक ने बताया कि इस वर्ष गेहूँ खरीदी हेतु कुल 10340 कृषको नं पंजीयन कराए है जो कि विगत वर्षो की कृषक संख्या से अधिक है। आयोजित इस समीक्षा के पश्चात संबंधित अधिकारी आश्वस्त है कि इस वर्ष तुलनात्मक रूप से गेहूं विक्रय के लिए आने वाले कृषको की सुविधाओं के लिए बेहतर समन्वय एवं बेहतर व्यवस्था रहेगी

आदिवासी क्षेत्रों में 7 हजार से अधिक लोगों को मिला रोजगार

भोपाल। प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में खादी–ग्रामोद्योग, रेशम, हस्त–शिल्प और हाथकरघा की गतिविधियों से जोड़कर 7 हजार से अधिक व्यक्तियों को रोजगार के अवसर मिले हैं। आदिवासी उप–योजना मद में कुटीर एवं ग्रामोद्योग की गतिविधियों में 13 करोड़ 11 लाख रुपये की राशि खर्च की गई, जिससे 127 हितग्राहियों को स्व–रोजगार से जुड़ी विधाओं में प्रशिक्षण दिलाया गया। खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा आदिवासी वर्ग के करीब 600 कारीगरों और शिल्पियों को स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिये बैंक से ऋण दिलाये गये।

आदिवासी उप–योजना से लाभान्वित हितग्राहियों को मार्जिन मनी की राशि 4 करोड़ 61 लाख रुपये राज्य सरकार के माध्यम से उपलब्ध कराई गई। हस्त शिल्प विकास निगम द्वारा 16 आदिवासी जिलों में 825 शिल्पियों और बुनकरों को प्रशिक्षण दिलवाया गया। इसी दौरान आदिवासी क्षेत्र में टसर रेशम विकास और विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत 4 करोड़ 21 लाख रुपये की राशि खर्च कर 4 हजार 228 हितग्राहियों को प्रशिक्षण देकर रेशम पालन की गतिविधियों से जोड़ा गया है।

वन संरक्षित क्षेत्रों के आस पास रहने वाले युवाओं को कौशल प्रशिक्षण

भोपाल। संरक्षित क्षेत्रों के आसपास रहने वाले युवक–युवतियों को कौशल विकास प्रशिक्षण देना आरंभ किया गया है। प्रथम चरण में 5 संरक्षित क्षेत्रों– कुनो राष्ट्रीय उद्यान और खिवनी, नौरादेही, रातापानी और रानी दुर्गावती अभयारण्य के 22 युवक–युवतियों का चयन कर उन्हें खजुराहो में आदिरातिथ्य (हॉसपिटेलिटी) का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के बाद इन्हें अच्छे होटलों में सम्मानजक काम मिल सकेगा।

कार्यक्रम में गणमान्य नागरिक, कृषि वैज्ञानिक, किसान और खेती–किसानी से जुड़े अन्य लोग शामिल हुए।

कोरोना वायरस से बचने के उपाय

कोरोना वायरस मुख्यतः एक फ्लू जैसी बीमारी है जो जानवरों से मनुष्यों में फैलता है यह वायरस मनुष्य से मनुष्य में संक्रमण करता है। वायरस से प्रभावित होने पर बुखार आना, सिर दर्द, नाक बहना, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, खांसी, गले में खरास, सीने में जकड़न आदि लक्षण दिखाई देते हैं। संक्रमित व्यक्ति के खुली जगह में छींकने वा खांसने से हवा द्वारा इस वायरस का संक्रमण होता है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने, गले लगने, संक्रमित जगह के संपर्क में आने से भी यह वायरस फैलता है। बचाव के लिए नियमित अंतराल से हाथ धोना चाहिए। साथ ही बिना हाथ धोए चेहरे को न छुऐं, संक्रमित सामग्रियों के संपर्क में आने से बचें, छींकते समय साफ रूमाल का प्रयोग करें, सर्दी जुकाम या खांसी से प्रभावित व्यक्ति से दूरी बनाकर रखें, खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने भीड़–भाड़ से दूर रहें। धैर्य बनाए रखते हुए चिकित्सक से जरूरी परामर्श लेना चाहिए।

संतुलित पशु आहार खिलाकर पशु से दुग्ध अपार

मुरैना। अम्बाह विकास खण्ड के ग्राम आदे का पुरा निवासी हरीशंकर शर्मा ने पशुओं को संतुलित पशु आहार खिलाकर दूध में वृद्धि की है। यह सब संतुलित पशु आहार के कारण हुआ है। हरीशंकर ने बताया कि पशुओं के 32 कि.लो. सरसों की खली, 20 कि.लो. गेहूं, 18 कि.लो. बाजरा, 1 कि.लो. चूना, 1 कि.लो. मिण्डल विटामिन मिच्चर, 2 कि. लो. नमक, 12 कि.लो. अरहर चूनी और 14 कि.लो. चूनी का संतुलित आहार पशुओं को खिलाने से 8 की बजह 10–10 लीटर दूध दें रही है।

हरीशंकर शर्मा ने बताया कि मैं एक सामान्य पशुपालक कृषक हूं। पूर्व में मैंने सामान्य तरीके से पशुपालन किया करता था, जिससे उचित मात्रा में दुग्ध उत्पादन नहीं मिलता था। पिछले वर्ष 2018 में, मैं आत्मा परियोजना एवं कृषि विभाग के अधिकारियों के सम्पर्क में आया तो, उन्होंने आत्मा परियोजना द्वारा वर्ष 2019–20 में पशुपालन को लाभ का व्यवसाय बनाने के विषय पर पशुपालक समूह का निर्माण किया गया एवं क्षमता विकास का प्रशिक्षण दिया गया तथा देशी विधि से तैयार संतुलित पशु आहार की किट प्रदान की गई। संतुलित पशु आहार का उपयोग करने से पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि हुई। पहले प्रति पशु 8 लीटर दुग्ध उत्पादन प्रतिदिन मिलता था, परन्तु अब संतुलित पशु आहार का उपयोग करने से दुग्ध उत्पादन 10 लीटर/दिन हो गया है तथा पशु आहार के उपयोग के कारण पशुओं का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है व बीमारियां भी दूर रहती है। इस प्रंशिक्षण से प्रेंरित होकर अब मैं स्वंय भी देशी विधि से तैयार संतुलित पशु आहार निर्माण घर पर ही करता हूं तथा मेरे गांव के कृषक समूह के अन्य कृषकं भी इस विधि से पशु आहार तैयार कर पशुओं को खिलाते है जिससे उन्हें दुग्ध उत्पादन से अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो रहा हैं।

छिंदवाड़ा और सागर में खुलेंगे नए रेशम कार्यालय

भोपाल। प्रदेश के छिन्दवाड़ा एवं सागर में नए जिला रेशम कार्यालय प्रारंभ होंगे। इनसे इन जिलों के नवीन हितग्राही प्रमुखतः जनजाति के कृषक रेशम गतिविधियों से जुड़ सकेंगे। इसी साल केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सहयोग से करीब सवा 2 करोड़ की लागत से नरसिंहपुर जिले के देवरीकला क्षेत्र में एक नवीन ग्रेनेज भवन की स्थापना की जा रही है।

इंदौर स्थित प्रशिक्षण भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। भवन को सर्व सुविधायुक्त बनाया जा रहा है। मंत्री श्री यादव ने बताया कि इस वित्त वर्ष में अब तक विभिन्न प्रशिक्षण के माध्यम से करीब 4 हजार हितग्रहियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। आगामी कृमिपालन सीजन से हितग्राही को एक ही स्थान पर तकनीकी प्रशिक्षण दिया जायेगा ताकि प्रदेश भर में नवीन गुणवत्तायुक्त कोकून का उत्पादन हो। इसी के अनुरूप होशंगाबाद में पूर्व निर्मित प्रशिक्षण भवन में प्रशिक्षण की गतिविधि आरंभ की जा रही है।

प्रदेश में उन्नत धागा उत्पादन के लिए नरसिंहपुर जिले के नांदनोर में एक आटोमेटिक रीलिंग मशीन स्थापित की जा रही है।

कार्ड लेन-देन : सावधानी जरूरी

हम लोग आजकल लेनदेन में कार्ड का उपयोग करते है। इनके संबंध में पर्याप्त जानकारी के अभाव में कभी परेशानी में भी आ जाते है। कार्ड कितने प्रकार के होते है। रिजर्व बैंक के नियम कानून क्या हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर रिजर्व बैंक ने अपनी बेबसाइट में दिये है।

1. कार्ड कितने प्रकार के हैं?

उत्तर : कार्डों को उनके जारी करने, कार्ड धारक द्वारा उनके उपयोग और भुगतान के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तीन प्रकार के कार्ड होते हैं (क) डेबिट कार्ड (ख) क्रेडिट कार्ड और (ग) प्रीपेड कार्ड।

2. इन कार्डों को कौन जारी करता है?

उत्तर : डेबिट कार्ड बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं और ये बैंक खाते से जुड़े हुए होते हैं। समान्यतया क्रेडिट कार्ड बैंकों द्वारा जारी किए जाते हैं किन्तु इन्हें अन्य प्राधिकृत संस्थाओं द्वारा भी जारी किया जा सकता है। प्रीपेड कार्ड, कार्डधारक द्वारा अग्रिम भुगतान किए गए मूल्य जो कि ऐसे कार्डों में सुरक्षित रहता है और जिसे कार्ड अथवा वालेट्स के रूप में जारी किया जा सकता है के आधार पर बैंकों/गैर–बैंकों द्वारा जारी किए जाते हैं।

3. डेबिट कार्ड के क्या उपयोग हैं?

उत्तर : डेबिट कार्ड का उपयोग एटीएम से नकदी आहरण में, पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनलों अथवा ई–कॉमर्स (ऑनलाइन खरीद) पर माल और सेवाओं की खरीद के लिए किया जा सकता है। जबकि उनका उपयोग देश में किया जा सकता है किन्तु यदि कार्ड धारक द्वारा अनुरोध किया जाए तो इसके अंतर्राष्ट्रीय उपयोग की अनुमति भी दी जा सकती है। उनका उपयोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को घरेलू निधि अंतरण के लिए भी किया जा सकता है।

4. क्रेडिट कार्ड के उपयोग क्या हैं?

उत्तर : क्रेडिट कार्ड का उपयोग पीओएस टर्मिनलों / ई–कॉमर्स (ऑनलाइन खरीद) में माल और सेवाओं के क्रय के लिए किया जाता है । इन कार्डों का उपयोग घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया जा सकता है (बशर्ते वे अंतरराष्ट्रीय उपयोग के लिए सक्षम किए गए हों)। क्रेडिट कार्डों का उपयोग एटीएम से नकदी आहरण के लिए और देश के भीतर बैंक खातों, डेबिट कार्डों, क्रेडिट कार्डों और प्रीपेड कार्डों में धन अंतरण के लिए भी किया जा सकता है।

5. प्रीपेड कार्डों के क्या उपयोग हैं?

उत्तर : प्रीपेड कार्डों का उपयोग इस बात पर निर्भर करता है कि ऐसे कार्ड को जारी करने वाला कौन है। प्रीपेड कार्ड ओपेन अथवा सेमी दृ क्लोज्ड हो सकते हैं। बैंकों द्वारा जारी किए गए ओपेन सिस्टम प्रीपेड कार्डों के द्वारा एटीएम से नकद निकालने, पीओएस टर्मिनल / ई–कॉमर्स (ऑनलाइन खरीद) पर माल और सेवाओं की खरीद और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक घरेलू धन अंतरण किया जा सकता है। सेमी क्लोज्ड सिस्टम प्रीपेड कार्ड प्राधिकृत बैंक और गैर बैंक संस्थाओं द्वारा जारी किया जा सकता है और इसका उपयोग पीओएस टर्मिनलों/ई–कॉमर्स (ऑनलाइन खरीद) पर माल और सेवाओं की खरीद और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक घरेलू धन अंतरण के लिए किया जा सकता है।

प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई) पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न के अंतर्गत पीपीआई पर और विस्तृत जानकारी दी गई है।

6. पीओएस टर्मिनल पर कार्ड का उपयोग करने के विभिन्न तरीके क्या हैं?

उत्तर : एक कार्ड को पीओएस टर्मिनल पर स्वाइप किया जा सकता है (चुंबकीय–स्ट्रिप कार्ड), अंदर प्रविष्ट किया जा सकता है (चिप आधारित कार्ड) या टैप किया जा सकता है (संपर्क रहित नियर फील्ड कम्यूनिकेशन {एनएफसी} कार्ड)।

7. मैगनेटिक स्ट्रिप कार्ड, ईएमवी चिप और पिन कार्ड और संपर्क रहित एनएफसी कार्ड क्या हैं?

उत्तर : मैगनेटिक स्ट्रिप कार्ड में कार्ड पर मौजूद मैगनेटिक स्ट्रिप पर कार्ड का डेटा संग्रहीत होता है जबकि ईएमवी चिप और पिन कार्ड में डेटा चिप में संग्रहीत किया जाता है। ईएमवी चिप और पिन कार्ड में कार्डधारक सत्यापन के लिए अतिरिक्त इनपुट के रूप में पिन आवश्यक है। एक संपर्क रहित एनएफसी कार्ड में कार्ड को कार्ड रीडर के पास रखा जाता है जिससे कार्ड की पहचान की जाती है। ईएमवी चिप और पिन कार्ड और संपर्क रहित एनएफसी कार्ड को मैगनेटिक स्ट्रिप वाले कार्ड की तुलना में सुरक्षित माना जाता है।

8. कार्ड प्रेजेंट (सीपी) और कार्ड नॉट प्रेजेंट (सी एन पी) लेन–देन क्या हैं?

उत्तर : कार्ड प्रेजेंट (सीपी) लेनदेन एक कार्ड लेनदेन है जो लेनदेन के स्थान पर कार्ड की भौतिक उपस्थिति के माध्यम से किया जाता है। इसे फेस–टू–फेस अथवा प्रोक्सिमिटी भुगतान लेन–देन के रूप में भी जाना जाता है। इसका एक उदाहरण है किसी एटीएम या किसी पीओएस टर्मिनल पर किया गया लेनदेन। एक कार्ड नॉट प्रेजेंट (सी एन पी) लेन–देन में कार्ड की भौतिक रूप से उपस्थिती की आवश्यकता नहीं होती है। इसे रिमोट लेनदेन भी कहा जाता है। इसका एक उदाहरण है ऑनलाइन लेन–देन अथवा मोबाइल बैंकिंग लेन–देन जिसमें कार्ड का उपयोग किया गया है।

9. कार्ड के माध्यम से नकदी निकासी या माल और सेवाओं की खरीद के लिए सीमा कौन तय करता है ?

उत्तरः एटीएम से नकद निकासी और माल और सेवाओं की खरीद के लिए सीमा के निर्धारण से संबन्धित निर्णय जारीकर्ता बैंक द्वारा लिया जाता है। पीओएस टर्मिनलों में डेबिट कार्ड का उपयोग कर नकद निकासी की सुविधा भी कुछ बैंकों द्वारा प्रदान की गई है, जिसके माध्यम से प्रतिदिन अधिकतम रु. 2000/– का आहरण किया जा सकता है।

10. क्या ऐसा कोई तरीका है जिसके माध्यम से ग्राहक तुरंत यह पता कर सके कि उसके कार्ड का उपयोग करते हुए धोखाधड़ी द्वारा लेनदेन किया गया है या नहीं ?

उत्तरः भारतीय रिजर्व बैंक कार्ड भुगतान को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न कदम उठाता रहा है। आरबीआई ने बैंकों को सभी कार्ड लेनदेन के लिए ऑनलाइन अलर्ट भेजने के लिए अधिदेशित किया है ताकि कार्ड धारक अपने कार्ड पर होने वाले लेनदेन से अवगत हो सके। इससे लाभ उठाने के लिए, कार्डधारकों को एसएमएस / ई–मेल अलर्ट के लिए पंजीकरण करने की सलाह दी जाती है।

11. कार्ड के माध्यम से किए जाने वाले लेनदेन को धोखाधड़ी से कैसे सुरक्षित रखा जाता है?

उत्तर : भारत में जारी किए गए सभी कार्डों पर किए गए सीपी और सीएनपी लेनदेनों को प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक के साथ सुरक्षित किया गया है। प्रमाणीकरण का यह अतिरिक्त कारक किसी भी रूप में हो सकता है जिनमें से कुछ सामान्य रूप हैं पिन, डाइनेमिक वन टाइम पासवर्ड, स्टैटिक कोड इत्यादि। जहां विदेशी मुद्रा का बहिर्वाह किया जाना हो वहाँ प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक (एएफए) की आवश्यकता नहीं होती है। इसी तरह से एनएफ़सी कांटैक्टलेस टेक्नोलोजी का प्रयोग करते हुए कार्ड प्रेजेंट लेनदेन के मामले में (एटीएम पर किए गए लेनदेन के मामलों को छोड़कर) 2,000/– रुपये तक के अधिकतम मूल्य के लेनदेनों को प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक (एएफए) की आवश्यकता के बिना अनुमति प्रदान की गई है बशर्ते इसकी विशेष अनुमति ग्राहक से ली गई हो और ईएमवी मानकों का अनुपालन किया जाए।

12. एक अनधिकृत व्यक्ति द्वारा कार्ड के कपट पूर्वक उपयोग के मामले में बैंक की देयताएँ क्या हैं ?

उत्तर : कार्ड नॉट प्रेजेंट लेनदेन के मामले में आरबीआई ने घरेलू लेनदेन के लिए प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक को उपलब्ध कराने का अधिदेश दिया है। यदि प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक के बिना लेनदेन किया गया है और यदि ग्राहक ने शिकायत कर दी कि, यह लेनदेन उसके द्वारा नहीं किया गया है तो जारीकर्ता बैंक बिना किसी देरी के ग्राहक को नुकसान की प्रतिपूर्ति करेगा। इसके अलावा, एक बैंक के माध्यम से हुए अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में किसी ग्राहक की देयता को "ग्राहक सुरक्षा – अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की देयता को सीमित करना" विषय पर आरबीआई परिपत्र डीबीआर.सं. एलईजी.बीसी. 78/09.07.005/ 2017–18 दिनांक 06 जुलाई 2017 में शामिल किया गया है।

13. मैगनेटिक स्ट्रिप कार्ड अथवा ईएमवी चिप और पिन कार्ड जारी करने के संबंध में बैंकों के लिए क्या अधिदेश दिया गया है?

उत्तर : आरबीआई ने यह अनिवार्य किया है कि जब तक ग्राहक द्वारा अंतरराष्ट्रीय उपयोग के लिए अनुरोध न किया जाए तब तक बैंक केवल घरेलू उपयोग के लिए नए डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं जब तक कि अंतरराष्ट्रीय उपयोग वाले कार्ड विशेष रूप से ग्राहक द्वारा मांगे न जाएँ। इस तरह के कार्ड जिनमें अंतरराष्ट्रीय उपयोग को सक्षम किया गया है उनमें आवश्यक रूप से ईएमवी चिप और पिन सक्षम किया गया होना चाहिए। बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे 31 दिसंबर 2018 से पहले सभी मौजूदा मैगनेटिक स्ट्रिप कार्डों को ईएमवी चिप और पिन कार्ड में परिवर्तित कर दें।

ये अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा केवल सूचना और सामान्य मार्गदर्शन उद्देश्यों के लिए जारी किए जाते हैं। इनके आधार पर की गई कार्रवाइयों और / या निर्णयों के लिए बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। स्पष्टीकरणों या व्याख्याओं के लिए, यदि कोई हो, बैंक द्वारा समय–समय पर जारी किए गए प्रासंगिक परिपत्रों और अधि–सूचनाओं का संदर्भ लिया जा सकता है।

सहकारी संस्थाओं में गोदामों में व्यवस्थित भण्डारण प्रक्रिया

प्राथमिक सहकारी समितियों व्दारा अपने बहुउद्देशीय कार्यों के अन्तर्गत अनेक कार्य संपादित किए जाते हैं, जिनमें रासायनिक खाद वितरण प्रमुख है। कृषकों को सही खाद उचित दामों पर उपलब्ध कराने की दृष्टि से समितियों व्दारा उनकी आवश्यकतानुसार भंडारण किया जाता है।

राज्य शासन के जनहित कार्यों जैसे समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न खरीदी, बीज वितरण प्रणाली के अर्न्तगत खाद्य सामग्री का भी इन संस्था व्दारा वितरण करने आवश्यकतानुसार भण्डारण किया जाता है। इस प्रकार वितरण व्यवस्था की प्रथम आवश्यकता उचित भण्डारण व्यवस्था है ताकि सामग्री सुरक्षित रहे एवं आपूर्ति सुनिश्चित बेहतर ढंग से कियान्वयन होना नितान्त आवश्यक है। भण्डारण में होने वाली हानियों की प्रवृत्ति क्या है तथा वे किस प्रकार से हानि पहुॅचाती हैं, यह भी जानना आवश्यक है कि हानि पहुॅचाने वाले तत्व एवं घटक क्या है। हानि पहुॅचाने वाले तत्वों की जानकारी के पश्चात रिक्त गोदाम को भण्डारण पूर्व किस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए तथा भण्डारण के पश्चात् रखी हुई सामग्री को कैसे सुरक्षित रखना चाहिए आदि जानकारियां आवश्यक है।

खाद्यान्न का उत्पादन मौसमी होता है जबकि इसका उपभोग वर्ष पर्यन्त किया जाता है। वर्ष भर खाद्यान्नों की मांग की पूर्ति बनी रहे, इसके लिए उत्पादित अनाज का भण्डारण आवश्यक है।

गोदाम की तैयारीः

खाद्यान्न की आवक से पहले गोदामघर में पक्षियों के आने जाने पर रोक–थाम खिड़कियों पर तार की जाली लगाकर कर देनी चाहिए। चूहों के बिलों को रेत, सीमेंट तथा कांच के टुकड़े से पूर देना चाहिए जिससे चूहों का नियंत्रण किया जा सके। चूहे अपने बिलों में अनाज जमा कर लेते हैं तथा उनमें मौजूद कीड़े बाद में नयी आवक के अनाज में भी पहुॅच सकते हैं। प्रधुमन के लिए कवर के रूप में उपयोग में लगाये जाने वाली चादर आदि के आकार को ध्यान में रखते हुए स्टैक का आकार तय करना चाहिए और तदनुसार स्टैक रखवाने की योजना बनानी चाहिए। स्टैक के लिए रेखाएं खीचने में सफेद या काले पेन्ट का प्रयोग करना चाहिए। स्टैक का आकार 30x20 से अधिक नहीं होना चाहिए।

बिछावन का उपयोग

गोदाम में अनाज की आवक से पहले ही उसके लिए सुरक्षित बिछावन की व्यवस्था की जानी चाहिए जो कि लकडी के क्रेट्स,

बांस की चटाई एवं पॉलिथीन चादरों के रूप में हो सकते हैं। स्टैक के नीचे ये बिछावन बिछा दी जाती है। ताकि फर्श से अनाज में नमी न आ पाये। बिछावन के तौर पर बांस की दो चटाइयों के बीच में दबाई गई पॉलीथीन चादर का भी प्रयोग किया जाता है। लकड़ी के मूल्यों में लगातार वृद्धि होने के कारण लकड़ी के स्थान पर प्लास्टिक की क्रेट्स का उपयोग किया जा सकता है। उचित भण्डारण के लिए पर्याप्त मात्रा में बिछावन का प्रबंध तथा कीट नियंत्रण के उपकरणों की व्यवस्था पहले से कर लेना आवश्यक है।

अनाज की आवक

जहां तक संभव हो, नई ए श्रेणी के बोरों को उपयोग में लाना चाहिए यदि पुराने बोरों को प्रयोग किया जाना हो तो कीटनाशक रसायन स` इनका पद्युमन/छिड़काव कर दिया जाना आवश्यक है। आवक के समय इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि अनाज पूरी तरह सूखा है तथा अन्य मिलावट उसमें वांछित मात्रा से अधिक तो नहीं है। 10प्रतिशत दैव निर्देशन पद्धति से 500 ग्राम वनज के दो नमूने लिये जायें। एक नमूना पूर्तिकर्ता अथवा माल के लाने वाले को दिया जाये आवक शत प्रतिशत तौल के आधार पर स्वीकार की जाये। यदि अनाज में पहले से ही कीट–प्रकोप दिखाई देता है तो प्रारंभिक पद्युमन कर दिया जाये।

स्टैक में लगाना

सुरक्षित भण्डारण के लिए बोरों को सुव्यवस्थित रखना अनिवार्य है। स्टैक में बोरे लगाना भी एक कला है इससे हिसाब रखने और सुरक्षा व्यवस्था करने की प्रकिया आसान हो जाती है। आमतौर पर तीन प्रकार की स्टैकिंग प्रणाली प्रचलन में है– सामान्य, किस तथा ब्लाक स्टैकिंग। प्रायः ब्लॉक स्टैकिंग को गोदामों में वरीयता दी जाती है। क्योंकि इसमें स्टैक की उंचाई चढ़ाने पर भी बोरों में एक दूसरे पर पकड़ अच्छी तरह बनी रहती है तथा स्टैक के गिरने की संभावना कम होती है। दो स्टैक्स के बीच 2.5 का अंतर रखना आवश्यक है स्टैक पर एक संकेत कार्ड टांग देना चाहिए जिसमें कि बोरों कीसंख्या, भारत, आवक की तिथि, वर्गीकरण आदि का उल्लेखरहे। समान–आकार प्रकार के बोरे जिनमें प्रत्येक में 14 टांके हो, की वरीयता दें। अच्छी किस्म के धान के बारों का सदैव लकडद्यी के क्रेटस पर ही भण्डारण करें तथा इसकी उंचाई 12 बोरों से अधिक न जाने दे।

रखरखाव

रखरखाव के दौरान हुक का प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए तथा गिरे हुए अनाज को इकट्ठा करवाकर उसका उचित हिसाब रखवाना चाहिए। भण्डारण कियाविधि में किसी भी स्तर पर अर्थात कृषक, व्यापारी अथवा उपभोक्ता के स्तर पर भण्डारण होने में रख रखाव मुख्य भाग है। अनाज का रखरखाव उसकी फ्लोएविलिटी पर निर्भर करता है जिसका संबंध अनाज के आकार, रूप तथा नमी की मात्रा से होता है। किए जाने वाले रख–रखाव में बोरों से रिसकर अनाज की बरबादी होती है। इसलिए रख–रखाव के दौरान हुकों के प्रयोग से सावधानी बरतनी चाहिए ऐसे बोरों का प्रयोग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिनके चारों कोनों पर कान जैसे आकृति हो ताकि कर्मचारी उसे मजबूती से पकड़कर रख–उठा सके।

भण्डारण

भण्डारण के लिए गोदाम को पूर्ण व्यवस्थित किया जाना चाहिए। भण्डारण गृह में खुली हवा का आवागमन रहने से अनाज न केवल ठण्डा रहता है, बल्कि अनाज की विभिन्न कीट–प्रजातियों को भी बढ़ने से रोकता है।

भण्डारित अनाज के स्टैक का नियमित निरीक्षण तथा विश्लेषण किया जाना चाहिए और उसी के आधार पर स्टैक्स को हटवाने का क्रम निर्धारित करना चाहिए। सामान्य रूप से स्टैक 16 पर्तो की उंचाई तक होती है तथा इसमें एक टन अनाज भण्डारण के लिए 5 से 571/3 वर्गफीट स्थान की आवश्यकता होती है। 30 प्रतिशत स्थान निकलने के रास्तों के लिए छोड़ा जाये। नियमित अन्तराल पर कीट व मूषक नियंत्रण के उपायों का प्रयोग करते रहना चाहिए। यदि स्टैक में से किस्तों में माल हटाया जाता है तो साथ लगे कार्ड पर निर्गमन की तिथि व हटाये गये बोरों की संख्या आदि का लेखा कर देना चाहिए।

परम्परागत भण्डारण–पद्धतियों में सुधार करके कीट संक्रमण के सभी स्त्रोतों जैसे संक्रमित खाद्यान्न, बिखरा हुआ अनाज, पुराने बोरे बिछावन दरारें आदि को समाप्त करने के उपाय, आदि बातों की महत्ता से भी अवगत हैं। कम मात्रा में संक्रमण होते ही अर्थात प्रति कि.ग्रा. नमूने में 2 जीवित कीड़ों के पाये जाते ही भण्डारण में प्रधूमन किया जाना चाहिए, ताकि वह मात्रा बढ़ने न पाये इस तथ्य को सुनिश्चित कर लिया जावे कि खाद्य मिलावट रोक अधिनियम के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन किया जा रहा है।

अर्थात प्रति कि.ग्रा. खाद्यान्न के नमूने में 8 और संसधित किये गये खाद्यान्न जैसे चावल और दाल में 4 से अधिक जीवित अथवा मृत कीड़े न हो। यदि ये सीमाएं पार हो रही हो तो अनाज की सफाई और प्रधुमन का कार्य तुरन्त किया जाना चाहिए। ऐसे स्थलों का पता लगाया जाना चाहिए जहां से शुष्क ताप पाउडरीकरण तथा फफूंदी संक्रमण की संभावनाएं हो सकती हो, तथा इस बात के लिए आवश्यक उपाय किये जाये कि खाद्यान्न की गुणवत्ता में और अधिक गिरावट न आने पायें।

फल-सब्जी के थोक व्यापार के लिए इटारसी में पहला लायसेंस मनोज कुमार जिग्यासी ने बनवाया

होशंगाबाद। फल सब्जी के थोक व्यापार व्यवसाय के लिए लायसेंस बनवाना जरूरी है तदाशय की अधिसूचना 13 जनवरी 2020 के राजपत्र में प्रकाशित है। सचिव कृषि उपज मंडी समिति इटारसी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इटारसी में मनोज कुमार जग्यासी द्वारा फल सब्जी के थोक व्यापार व्यवसाय के लिए लायसेंस सर्वप्रथम बनवाने पर गत दिन उनका कृषि उपज मंडी समिति इटारसी में भारसाधक अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी श्री हरेन्द्र नारायण राजस्व व सचिव कृषि उपज मंडी द्वारा साल श्रीफल देकर माला पहनाते हुए उन्हें अनुज्ञप्ति का प्रमाण पत्र प्रदान किया।

अच्छी फसल के लिए जरूरी है मिट्टी परीक्षण

बेहतर फसल उत्पादन एवं मृदा स्वास्थ्य हेतु संन्तुलित पौध पोषण परम आवश्यक होता है उचित पौध पोषण हेतु खेत की मिट्टी में उपलब्ध विभिन्न प्रमुख एवं गौण पोषक तत्वों की उपस्थित मात्रा की जानकारी मिट्टी परीक्षण द्वारा सुलभ होती है। प्राप्त मिट्टी परीक्षण परिणामो के आधार पर कृषक बन्धु उर्वरको का सन्तुलित मात्रा में उपयोग कर अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते है।

मिट्टी परीक्षण क्या है

खेत की मिट्टी में पौधो की समुचित वृध्दि एवं विकास हेतु आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्ध मात्राओं का रासायनिक परीक्षणों द्वारा आंकलन करना साथ ही विभिन्न मृदा विकास जैसे मृदा– लवणीयता, क्षारीयता एवं अम्लीयता की जांच करना मिट्टी परीक्षण कहलाता है ।

मिट्टी परीक्षण की आवश्यकता

पौधो की समुचित वृध्दि एवं विकास के लिये सर्वमान्य रूप से सोलह पोषक तत्व आवश्यक पाये गये है । यह अनिवार्य पोषक तत्व है। कार्बन, हाइड्रोजन, आक्सीजन, नत्रजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्निशियम एवं सल्फर (मुख्य या अधिक मात्रा मे लगने वाले आवश्यक पोषक तत्व) इन पोषक तत्वों मे से प्रथम तीन तत्वों को पौधे प्रायरू वायु व पानी से प्राप्त करते है तथा शेष 13 पोषक तत्वों के लिये ये भूमि पर निर्भर होते है। सामान्यतरू ये सभी पोषक तत्व भूमि में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध रहते है। परन्तु खेत में लगातार फसल लेते रहने के कारण मिट्टी से इन सभी आवश्यक तत्वों का ह्रास निरन्तर हो रहा है। असन्तुलित पौध पोषण की दशा में फसलो की वृध्दि समुचित नहीं हो पाती तथा पौधो के कमजोर होने एवं रोग व्याधि, कीट आदि से ग्रसित होने की सम्भावना अधिक रहती है। परिणामस्वरूप फसल उत्पादन कम होता है इसके अतिरिक्त उर्वरक भी काफी महंगे होते जा रहे है। अतरू इन पोषक तत्वों को खेत में आवश्यकता–नुरूप ही उपयोग करना जिससे खेती लाभदायक बन सकती है। खेतो में उर्वरक डालने की सही मात्रा की जानकारी मिट्टी परीक्षण द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। अतरू मिट्टी परीक्षण उर्वरकों के सार्थक उपयोग एवं बेहतर फसल उत्पादन हेतु नितान्त आवश्यक है।

मिट्टी परीक्षण के उद्देश्य

मिट्टी परीक्षण सामान्यतया निम्न उद्देश्यो की पूर्ति के लिये किया जाता है –

1. मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर की जांच करके फसल एवं किस्म के अनुसार तत्वों की सन्तुलित मात्रा का निर्धारण कर खेत में खाद एवं उर्वरक मात्रा की सिफारिश हेतु।
2. मृदा अम्लीयता, लवणीयता एवं क्षारीयता की पहचान एवं सुधार हेतु सुधारको की मात्रा व प्रकार की सिफारिश कर इन जमीनो को कृषि योग्य बनाने हेतु महत्वपूर्ण सलाह एवं सुझाव देना।
3. फल के बाग लगाने के लिये भूमि की उपयुक्तता का पता लगाना।
4. मृदा उर्वरता मानचित्र तैयार करने के लिये। यह मानचित्र विभिन्न फसल उत्पादन योजना निर्धारण के लिये महत्वपूर्ण होता है तथा क्षेत्र विशेष में उर्वरक उपयोग संबंधी जानकारी देता है।

मिट्टी का नमूना एकत्र करना–

मिट्टी परीक्षण के लिये सबसे महत्वपूर्ण होता है कि मिट्टी का सही नमूना एकत्र करना। इसके लिये जरूरी होता है कि नमूना इस प्रकार लिया जाये कि वह जिस खेत या क्षेत्र से लिया गया हो उसका पूर्ण प्रतिनिधित्व करता हो। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु मिट्टी के प्रतिनिधि नमूने एकत्र किये जाते है। प्रतिनिधि नमूना लेने के लिये ध्यान दे कि –

1– नमूना लेने से पूर्व खेत में ली गई फसल की बढवार एक ही रही हो।
2– उसमें एक समान उर्वरक उपयोग किये गये हो।
3– जमीन समतल व एक ही हो तो ऐसी स्थिति में पूरे खेत से एक ही संयुक्त या प्रतिनिधि नमूना ले सकते है।

इसके विपरीत यदि खेत में अलग–अलग फसल ली गई हो। भिन्न–भिन्न भागो में अलग–अलग उर्वरक मात्रा डाली गई हो। फसल बडवार कही कम, कही ज्यादा रही हो। जमीन समतल न होकर ढालू हो तो इन परिस्थितियो में खेत के समान गुणो वाली सम्भव इकाईयो में बांटकर हर इकाई से अलग–अलग प्रतिनिधि नमूना लेना चाहिये। नमूना सामान्यतरू फसल बोने के एक माह पहले लेकर परीक्षण हेतु भेजना चाहिये ताकि समय पर परिणाम प्राप्त हो जायें एवं सिफारिश के अनुसार खाद उर्वरको का उपयोग किया जा सके।

नमूना एकत्रीकरण हेतु आवश्यक सामग्री

खुरपी, फावडा, बाल्टी या ट्रे, कपडे एवं प्लास्टिक की थैलियां , पेन, धागा, सूचना पत्रक, कार्ड आदि।

प्रतिनिधि नमूना एकत्रीकरण विधि–

1– जिस खेत में नमूना लेना हो उसमें जिग–जैग प्रकार से घूमकर 10–15 स्थानों पर निशान बना ले जिससे खेत के सभी हिस्से उसमें शामिल हो सकें।
2– चुने गये स्थानो पर उपरी सतह से घास–फूस, कूडा करकट आदि हटा दे।
3– इन सभी स्थानो पर 15 सें.मी. (6 –9 इंच) गहरा वी आकार का गड्ढा खोदे। गड्ढे को साफ कर खुरपी से एक तरफ उपर से नीचे तक 2 से.मी. मोटी मिट्टी की तह को निकाल ले तथा साफ बाल्टी या ट्रे में डाल ले।
4– एकत्रित की गई पूरी मिट्टी को हाथ से अच्छी तरह मिला लें तथा साफ कपडे पर डालकर गोल ढेर बना लें। अंगूली से ढेर को चार बराबर भागो की मिट्टी अलग हटा दें। अब शेष दो भागो की मिट्टी पुनरू अच्छी तरह से मिला लें व गोल बनाये। यह प्रक्रिया तब तक दोहराये जब तक लगभग आधा किलों मिट्टी शेष रह जायें। यही प्रतिनिधि नमूना होगा।
5– सूखे मिट्टी नमूने को साफ प्लास्टिक थैली में रखे तथा इसे एक कपडे की थैली में डाल दें। नमूने के साथ एक सूचना पत्रक जिस पर समस्त जानकारी लिखी हो एक प्लास्टिक की थैली में अन्दर तथा एक कपडे की थैली के बाहर बांध देवें।
6– अब इन तैयार नमूनों को मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला भेजे।

विशिष्ट परिस्थितियो हेतु नमूना एकत्रीकरण–

लवण प्रभावित भूमि से मिट्टी नमूना लेने के लिये 90 से.मी. गहरा गड्ढा खोदकर एक तरफ से सपाट कर ले। फिर वहा से उपर से नीचे की ओर 0–15 से.मी, 15–30 से.मी., 30–60 से.मी. एवं 60 से 90 से.मी. की परतो से आधा–आधा किलो मिट्टी खुरच कर अलग–अलग थैलियो में रखकर व परतो की गहराई लिखकर सूचना पत्रक में स्थान का भू–जल स्तर, सिंचाई का स्त्रोत आदि जानकारी भी लिखकर मिट्टी नमूनो को प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेजें।

मिट्टी जांच संबंधी सूचना पत्रक

निम्न जानकारी लिखा हुआ सूचना पत्रक नमूनो के साथ रखे एवं उपर बांधे–

कृषक का नाम ——————————
पिता का नाम ——————————
ग्राम/मोहल्ला ——————————
डाकघर ——————————
विकासखण्ड/तहसील ——————————
जिला ——————————
खेत का खसरा नम्बर/सर्वे ——————————
पहचान ——————————
सिंचित/असिंचित ——————————
पहले ली गई फसल एवं मौसम ——————————
आगे ली जाने वाली फसल एवं मौसम– ——————————
नमूना लेने वाले का नाम/हस्ता एवं दिनांक ——————————
मिट्टी सबंधी अन्य विशेष समस्या ——————————

फलदार पौधे लगाने के लिये 2 मी. तक नमूना लेना चाहिये क्योंकि वृक्ष जमीन की गहराई की परतों से अपना पोषण प्राप्त करते है। साथ ही जमीन में कैल्शियम, कार्बोनेट की मात्रा फलदार पौधो की बढवार के लिये महत्वपूर्ण होती है। 2 मी. के गड्ढे में एक तरफ सपाट करके 15, 30, 60, 90,120,150 एवं 180 से.मी. की गहराई पर निशान बनाकर अलग–अलग परतो से अलग–अलग मिट्टी नमूना (1/2 किलो) एकत्र करें। सूचना पत्रक में अन्य जानकारियो के साथ परतो की गहराई भी लिखे । इस प्रकार तैयार नमूनों को परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजे।

मिट्टी नमूना का प्रयोगशाला में विश्लेषण एवं परिणाम

एकत्रित किये गये नमूनो को किसान भाई अपने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की मदद से जिले की निकटतम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओ में परीक्षण हेतु भिजवाये।

प्रयोगशालाओ में सामान्यतः मिट्टी परीक्षण कार्बनिक कार्बन, मृदा पी.एच.मान (अम्लीयता, क्षारीयता, उदासीनता आदि) वैधुत चालकता, उपलब्ध नत्रजन, स्फुर एवं पोटाश आदि का स्तर जानने के लिये किये जाते है तथा प्राप्त परिणामों के आधार पर पोषक तत्वों के निम्नस्तर (कमी)

मध्यम स्तर (पर्याप्त) एवं उच्च स्तर (अधिकता) के हिसाब से आगे बोयी जाने वाली फसल के लिये उर्वरक एवं खादी को दी जाने वाली मात्राओ की सिफारिश की जाती है। इस आधार पर कृषक, उर्वरको का सार्थक उपयोग कर अच्छा फसल उत्पादन प्राप्त कर सकते है तथा उर्वरको पर खर्च किये गये पैसों का समुचित उपयोग कर सकते है। सूक्ष्म पोषक तत्वों के विश्लेषण हेतु नमूना सावधानीपूर्वक एकत्रित कर तथा विशिष्ट रूप से यह अंकित कर भेजे कि मृदा में सूक्ष्म तत्व विश्लेषण भी चाहते है।

नमूना एकत्रिकरण के समय सावधानियां–

– जहां खाद का ढेर रहा हो वहां से नमूना न लें।
– पेडों, मेढो, रास्तो के पास से नमूना न ले।
– साफ औजारो (जंग रहित) तथा साफ थैलियों का उपयोग करें।
– नमूनों के साथ सूचना पत्रक अवश्य रखें ।

याद रखे कि खेत का मिट्टी परीक्षण उतना ही आवश्यक है जितनी कि स्वास्थ्य के लिये चिकित्सक से जांच करवाते रहना। इस प्रत्येक तीन वर्षो में अनिवार्य रूप से दोहराते रहना चाहिये।

निर्धारित शुल्क

मिट्टी परीक्षण हेतु शासन द्वारा निर्धारित रियायती दर– शासन द्वारा किसानो के खेतो की मिट्टी के सूक्ष्म तत्व विश्लेषण करने हेतु सामान्य कृषको के लिये रू. 40/– प्रति नमूना तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये रू. 30/– प्रति नमूना शुल्क निर्धारित किया गया है।

वसूली और बिक्री के संबंध में सहकारी अधिनियम व प्रभावशाली अधिनियम के विधिक प्रावधान

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम
परिभाषायें

धारा –2 (द) सदस्य – ''सदस्य'' से अभिप्रेत है किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण संबंधी आवेदन में संयोजित होने वाला कोई व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे रजिस्ट्रीकरण के पश्चात, इस अधिनियम तथा उन नियमों एवं उपविधियों के, जो कि ऐसी सोसाइटी को लागू हों, अनुसार सदस्यता प्रदान कर दी गई हो और उसके अंतर्गत राज्य सरकार, जबकि वह किसी सोसाइटी के अंशपूंजी के प्रति अभिदाय करती हो, आती है।

धारा –2 (न)नाममात्र का सदस्य– ''नाममात्र का सदस्य'' से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जिसे धारा 20 की अधीन किसी सोसाइटी के सदस्य के रूप में प्रवेश दिया गया हो।

धारा –20 धारा 19 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई सोसाइटी किसी भी व्यक्ति को नाममात्र के सदस्य के रूप में प्रवेश दे सकेंगी, जिसका या तो सोसाइटी के प्रबंध में या उसके लाभों में कोई अंश नहीं होगा और वह उस सोसाइटी के परिसमापन की दशा में किसी योगदायी दायित्व के अध्यधीन नहीं होगा।

धारा –2 (डी/घ)संचालक मण्डल– ''संचालक मण्डल'' से अभिप्रेत है धारा–48 के अधीन गठित किसी सहकारी सोसाइटी का कोई ऐसा शासी निकाय या प्रबंधन बोर्ड चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाता हो जिसे किसी भी सोसाइटी के कार्यकलापों के प्रबंध का संचालन और नियंत्रण सौंपा गया हो।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी– ''मुख्य कार्यपालन अधिकारी'' से अभिप्रेत है धारा–49 ड के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति और जिसे संचालक मण्डल के अधीक्षण, नियंत्रण और निदेशन के अध्यधीन रहते हुए संचालक मण्डल व्दारा सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबंध सौंपा गया है।

धारा –3 रजिस्ट्रीकरण तथा अन्य अधिकारी– 1. राज्य सरकार राज्य के लिए किसी व्यक्ति को सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी और निम्नलिखित प्रवर्गों के एक या अधिक अधिकारियों को इस हेतु वे नियुक्त कर सकेगी कि वे उसकी सहायता करें, अर्थात

(ए/क) सहकारी सोसाइटियों का अपर रजिस्ट्रार
(बी/ख) सहकारी सोसाइटियों का संयुक्त रजिस्ट्रार
(सी/ग) सहकारी सोसाइटियों का उप रजिस्ट्रार
(डी/घ) सहकारी सोसाइटियों का सहायक रजिस्ट्रार
(ई/ड.) अधिकारियों के ऐसे अन्य प्रवर्ग जो कि विहित किये जाये,

2. रजिस्ट्रार की सहायता करने के लिए नियुक्ति किये गये अधिकारी, इस अधिनियम व्दारा या उसके अधीन रजिस्ट्रार को प्रदत्त की गई ऐसी शक्तियों का तथा इस अधिनियम व्दारा या उसके अधीन रजिस्ट्रार पर अधिरोपित किये गये ऐसे कर्तव्यों का, जैसा कि राज्य सरकार, विशेष या साधारण आदेश व्दारा, निर्देश दे, प्रयोग तथा पालन ऐसे क्षेत्रों के भीतर करेंगी जैसे कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करें।

(परन्तु) अपर रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार से भिन्न किसी भी अधिकारी को इस बात के लिए विनिर्दिष्ट नहीं किया जायेगा कि वह धारा 78 के अधीन अपीलों की सुनावाई करने की शक्तियों का प्रयोग करें।

3. रजिस्ट्रार की सहायता करने के लिए नियुक्त किये गये अधिकारी रजिस्ट्रार के अधीनस्थ होंगे और उसके साधारण मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे।

धारा 50 क (1)व्यतिक्रमी– कोई भी व्यक्ति, सोसाइटी के संचालक मण्डल के सदस्य, प्रतिनिधि या प्रत्यायुक्त के रूप में निर्वाचन में अभ्यर्थी होने के लिए अर्हित नहीं होगा यदि वह उस सोसाइटी या किसी अन्य सोसाइटी के प्रति 12 मास से अधिक की कालावधि के लिए उसके व्दारा लिए गए किसी उधार या अग्रिम के लिए व्यतिक्रमी रहता है।

देय तिथि– लिए गए ऋण या उसकी किश्त को भुगतान करने की तिथि।

शोध्य ऋण– लिए गए ऋण या उसकी किश्त की वह निर्धारित राशि जिसका भुगतान करना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम 1962

नियम 2 (सी/ग) सहकारी वर्ष– ''सहकारी वर्ष'' से तात्पर्य प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष से है।

नियम 2 (सीसी/गग) प्रमाणित प्रति– ''प्रमाणित प्रति'' से तात्पर्य सोसाइटी की किताबों की किसी भी प्रविष्टि की प्रति से है जिस पर कि ऐसी प्रति के नीचे यह प्रमाणित किया गया हो कि यह उस प्रविष्टि की सत्यप्रतिलिपि है, जो कि सोसाइटी कि सामान्य पुस्तकों में से किसी एक पुस्तक में अन्तर्विष्ट है और उसे कारबार के प्रायिक तथा मामूली अनुक्रम में किया गया था और यह कि वह पुस्तक सोसाइटी की अभिरक्षा में अभी भी है, ऐसा प्रमाण पत्र अधिनियम में यथा परिभाषित अधिकारियों व्दारा दिनांकित तथा हस्ताक्षरित किया गया है।

नियम 2 (डी/घ) डिक्री– ''डिक्री'' जयपत्र से तात्पर्य धारा 85 में उल्लिखित किसी आज्ञा, निर्णय या पंच निर्णय से है।

नियम 2 (ई/ड़) जयपत्रधारी– '' जयपत्रधारी'' से तात्पर्य किसी संस्था या व्यक्ति (जिसमें राज्य शासन भी सम्मिलित है) से है, जो जयपत्र धारण करता हो।

नियम 2 (एच/ज) निर्णीत ऋणी– '' निर्णीत ऋणी'' से तात्पर्य किसी संस्था या व्यक्ति से है जिसके विरूद्ध जयपत्र प्राप्त किया गया हो।

नियम 2 (जे/ञ) वसूली अधिकारी– '' वसूली अधिकारी'' से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसे धारा 85 के अंतर्गत पंजीयक के अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया हो।

नियम 2 (के/ट) विक्रय पदाधिकारी– '' विक्रय पदाधिकारी'' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे रजिस्ट्रार व्दारा सामान्य या विशेष आदेश व्दारा, निर्णीत ऋणियों की सम्पत्ति की कुर्की तथा उसका विक्रय करने या उसे कुर्क करने तथा अन्तरण करने या सम्पत्ति की कुर्की एवं विक्री अथवा उसकी कुर्की तथा अन्तरण व्दारा किसी डिक्री को निष्पादित करने के लिए सशक्त किया गया हो।

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959

सहकारी सोसाइटी – ''सहकारी सोसाइटी'' से अभिप्रेत है सहकारी सोसाइटियों से संबंधित किसी विधि के, जो राज्य के किसी क्षेत्र में तत्समय प्रवृत है, अधीन उस रूप में रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी।

(धारा 24) राज्य शासन व्दारा राजस्व पदाधिकारियों की शक्तियों का पदाधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों को प्रदाय किया जाना– राज्य शासन इस संहिता व्दारा या इसके अधीन किसी राजस्व पदाधिकारी को प्रदत्त शक्तियां किसी भी व्यक्ति को प्रदान कर सकेगा। राज्य शासन, इस संहिता व्दारा उच्चतम श्रेणी के राजस्व पदाधिकारी को दी शक्तियां किसी असिस्टेंट कलेक्टर, तहसीलदार या नायब तहसीलदार को प्रदान कर सकेगा।

सहकारी विभाग के वरिष्ठ निरीक्षकों को संहिता की धारा 146 और 147 के अधीन तहसीलदार को प्राप्त शक्तियां, बकाया वसूली हेतु प्रदान की गईं।अधिसूचना क्रमांक 323–2–2117–सात–51 दिनांक 25 जनवरी 1965 (राजपत्र दिनांक 26 फरवरी 1965)

भू राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य धन–

कोई ऐसी राशि जिसके बारे में राज्य के किसी क्षेत्र में तत्समय प्रवृत सहकारी सोसाइटियों से संबंधित किसी विधि के अधीन नियुक्त किये गये समापक व्दारा यह आदेश दिया गया है कि वह राशि किसी सोसाइटी की आस्तियों के प्रति अभिदाय के रूप में या समापक के खर्च में वसूल की जायः

(धारा 155 डी) परन्तु खण्ड (डी) में विनिर्दिष्ट राशि की वसूली के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन पर तब तक कोई कार्यवाही नही की जावेगी जब तक कि ऐसे आवेदन के साथ, ऐसी विधि के अधीन नियुक्त किये गये रजिस्ट्रार व्दारा हस्ताक्षरित इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न न कर दिया गया हो कि उक्त राशि भू राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल की जानी चाहिए।

सम्पत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अन्तर्गत प्रावधान–

बंधकों के अर्थ–

बंधक विनिर्दिष्ट स्थावर सम्पत्ति में के किसी हित का वह अंतरण है जो उधार के तौर पर दिये गये या दिये जाने वाले धन के संदाय को या वर्तमान या भावी ऋण के संदाय को या ऐसे बचनबद्ध का पालन जिससे धन संबंधी दायित्व पैदा हो सकता है। प्रतिभूत करने के प्रयोजन से किया जाता है।

सादा बंधक– जहां कि बंधनकर्ता बंधक सम्पत्ति का कब्जा परिदत्त किये बिना बंधक धन चुकाने के लिए अपने को व्यक्तितः आबद्ध करता है और अभिव्यक्त या विवक्षित तौर पर करार करता है कि उस संविदा के अनुसार संदाय करने में उसके सफल रहने की दशा में बंधकदार को बंधक संपत्ति का विक्रय कराने का और विक्रय के आगमों को जहां तक आवश्यक हो बंधक धन के संदाय में उपयोजित कराने का अधिकार होगा वहां वह संव्यवहार सादा बंधक कहलाता है।

सशर्त विक्रय व्दारा बंधक– जहां कि कोई बंधककर्ता बंधक सम्पत्ति को दृष्यतः बेच देता है सशर्त पर कि किसी निश्चित तारीख को बंधक धन के संदाय में व्यतिक्रम होते ही विक्रय आत्यन्तिक हो जायेगा अथवा इस शर्त पर कि ऐसा संदाय किये जाने पर विक्रय शून्य हो जायेगा।

भोग बंधक– जहां कि बंधककर्ता बंधक सम्पत्ति का कब्जा बंधकदार को परिदत्त कर देता है या परिदत्त करने के लिए अपने को अभिव्यक्त या विवक्षित तौर पर आबद्ध कर लेता है और उसे प्राधिकृत करता है कि बंधक धन का संदाय किये जाने तक वह ऐसा कब्जा प्रतिधृत करे और उसे सम्पत्ति प्रोद्भूत भाटकों और लाभों को या ऐसे भाटकों और लाभों के किसी भाग को प्राप्त करे और उन्हें ब्याज या बंधक धन के संदाय मे या भागतः बंधक धन के संदाय में विनियोजित कर ले।

अंग्रेजी बंधक– जहां कि बंधककर्ता बंधक धन का प्रति संदाय निश्चित तारीख को करने के लिए अपने को आबद्ध करता है और बंधक सम्पत्ति को बंधकदार को अत्यन्तिक रूप से किन्तु इस परन्तुक के अधीन अन्तरित करता है कि करार के अनुसार बंधक धन के संदाय पर बंधकदार उसे बंधनकर्त्ता को प्रति अंतरित कर देगा, वहां वह संव्यवहार अंग्रेजी संव्यवहार है।

धारा 89–सिविल न्यायालयों की शक्तियां : रजिस्ट्रार उसके नाम निर्दिष्ट व्यक्ति या नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के बोर्ड या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जो किसी विवाद का विनिश्चय कर रहा हो, तथा किसी सोसाइटी के समापक को, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते समय, निम्नलिखित बातों के संबंध में वे समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम सं. 5) के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय किसी सिविल न्यायालय को होती है, अर्थात्–

(ए/क) किसी व्यक्ति को समन करना तथा उसको हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(बी/ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण तथा उसे पेश किये जाने की अपेक्षा करना;

(सी/ग) शपथ–पत्रों द्वारा तथ्यों का सबूत, और

(डी/घ) साक्षियों की परीक्षा के लिये कमीशन निकालना।

(2) किसी शपथ–पत्र की दशा में, यथास्थिति रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त किया गया कोई अधिकारी, उसका नाम निर्देशित व्यक्ति या नामनिर्देशित व्यक्तियों का बोर्ड या समापक अभिसाक्षी को शपथ दिला सकेगा।

धारा –90. रजिस्ट्रार या उसके द्वारा सशक्त किया गया व्यक्ति कतिपय प्रयोजनों के लिये सिविल न्यायालय होगाः– रजिस्टार या उसके द्वारा इस संबंध में सशक्त किये गये किसी व्यक्ति को जबकि वह किसी संपत्ति को कुर्क करके तथा बेचकर या कुर्क किये बिना बेचकर कोई रकम वसूल करने के लिये इस अधिनियम या अन्य अधिनियम के अधीन की किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो या जबकि वह किसी ऐसे आवेदन पर, जो कि ऐसी वसूली करने के लिये या ऐसी वसूली करने के हेतु सहायक कदम उठाने के लिये उसको किया गया हो, कोई आदेश पारित कर रहा हो, इंडियन लिमिटेशन एक्ट, 1908 (1908 का संख्यांक 9) की अनुसूची 1 के अनुच्छेद 182 के प्रयोजनों के लिये सिविल न्यायालय समझा जायेगा।

नियम–55 निर्णयों अथवा पंच निर्णयों की निष्पादन विधि–

(1) विवाद के संबंध में पंजीयक, उसके नाम निर्दिष्ट व्यक्ति अथवा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों के मण्डल द्वारा दिया गया प्रत्येक निर्णय अथवा पंच निर्णय को पंजीयक द्वारा संबंधित संस्था अथवा पक्षकार को इस अनुदेश के सहित भेजा जावेगा कि संस्था अथवा संबंधित पक्षकार, जैसी भी दशा हो, धारा 85 के उपबन्धों के अनुसार निष्पादन की कार्यवाही प्रारंभ करें।

(2) यदि निर्णय अथवा पंच निर्णय के अधीन देय धन 14 दिन के अंदर वसूल न हो तो उसे पंजीयक की ओर निष्पादन के हेतु आवेदन–पत्र के सहित पंजीयक द्वारा अपेक्षित सभी जानकारियों से संलग्न भेजा जावेगा। जय पत्रधारी उसमें बतलाएगा कि वह धारा 85 के खण्ड (ए/क) के अधीन व्यवहार न्यायालय द्वारा अथवा खण्ड (बी/ख) के अधीन कलेक्टर द्वारा अथवा खण्ड (सी/ग) के अधीन पंजीयक द्वारा इस हेतु प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा पंच निर्णय का निष्पादन करवाना चाहता है।

(3) निष्पादन के हेतु ऐसे आवेदन–पत्र के प्राप्त होने पर पंजीयक धारा 85 के खण्ड (ए/क) अथवा खण्ड (बी/ख) के अधीन प्रमाण–पत्र देकर उसे उपयुक्त अधिकारी की ओर निष्पादन के हेतु भेजेगा।

स्थानीय फसल प्रजातियों को जी.आई. टेग दिलाएंगे

एक जिला–एक फसलश कार्यक्रम पर कार्यशाला करने वाला पहला राज्य बना मध्यप्रदेश

भोपाल। प्रदेश की स्थानीय विशिष्ट फसल प्रजातियों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने और भौगोलिक सांकेतिक (जीआई) टेग के साथ फसलों का चयन प्र–संस्करण मूल्य संवर्धन और विपणन व्यवस्था संबंधी रणनीति निर्धारण के लिये प्रशासन अकादमी में कार्यशाला हुई। भारत सरकार के ''एक जिला–एक फसल'' कार्यक्रम के तहत हुई कार्यशाला में कृषि वैज्ञानिकों, विषय विशेषज्ञों, प्रगतिशील किसानों, कृषि उत्पाद उद्यमियों और विभागीय अधिकारियों के बीच मंथन हुआ। कृषि वैज्ञानिकों ने खाद्यान, दलहन, तिलहन, लघु धान्य फसलों की उत्पादन संभावनाएँ, चुनौतियाँ और जीआई टेग पर आधारित प्रस्तुतिकरण दिया। कार्यशाला के साथ मध्यप्रदेश ''एक जिला–एक फसल'' पर कार्यशाला करने वाला पहला राज्य बन गया है।

प्रमुख सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास श्री अजीत केसरी ने कहा कि विशिष्ट वस्तुओं का बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उपभोक्ता गुणवत्तापूर्ण उत्पादों का स्वागत कर रहे हैं। इसका लाभ किसानों को मिलना चाहिए। झाबुआ जिले के कड़कनाथ प्रजाति को जीआई टेग मिलने से इसको काफी लाभ मिला है। प्रदेश के अन्य विशिष्ट कृषि उत्पादों के लिये भी जीआई टेग हासिल करने की इस कार्यशाला के माध्यम से पहल की जा रही है। संचालक श्री संजीव सिंह ने कहा कि प्रदेश की फसलों की विशिष्टताओं को देखते हुए जीआई टेग हासिल करने की दिशा में जिलावार एक जिला एक फसल कार्यक्रम तैयार किया गया है। इससे कई फसलों के निर्यात के अधिकार प्रदेश के किसानों को प्राप्त हो सकेंगे और किसानों की आय बढ़ेगी। मुख्य महा–प्रबंधक नाबार्ड श्री सुनील कुमार बंसल ने कहा कि नाबार्ड कृषि एवं उद्यानिकी उत्पादों को जीआई टेग में पंजीयन कराने के साथ किसानों को उत्पादन वृद्धि के लिये अनुदान भी दे रहा है। अपर संचालक श्री बी.एम. सहारे ने प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रानुसार विभिन्न फसलों और उत्पादन का सांख्यिकी विश्लेषण करते हुए मध्यप्रदेश में जीआई टेग की संभावनाओं को बताया। राष्ट्रीय सलाहकार एनएफएसएम डॉ. डी. पी. सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने 'एक जिला एक फसल' कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये सबसे पहली कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला की अनुशंसाएं कार्यक्रम के क्रियान्वयन में बहुत लाभकारी होंगी। विधि सलाहकार श्री जे.साईं दीपक (दिल्ली) ने जीआई टेग के कानूनी पहलुओं की जानकारी दी। श्री रामनाथ सूर्यवंशी ने प्रदेश के कृषि उत्पादों के प्र–संस्करण मूल्य संवर्धन के बारे में बताया।

वैज्ञानिक कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर डॉ. जी.के. कोतू ने धान की स्थानीय किस्मों की विशिष्टताएँ बताते हुए चिन्नौर किस्म को जल्दी ही जीआई टेग दिये जाने पर बल दिया। अधिष्ठाता एवं प्रधान वैज्ञानिक डॉ. पी.सी. मिश्रा ने कहा कि देश में मध्यप्रदेश का शरबती गेहूँ एम.पी. व्हीट के नाम से लोकप्रिय है। विशेष स्वाद, सुगंध और पोषक तत्वों की प्रचुरता के कारण इसका जीआई टेग में पंजीयन होना चाहिए। इससे किसानों को अधिक मूल्य मिलेगा। डॉ. साईं प्रसाद ने ड्यूरम गेहूँ, डॉ. दुपारे ने सोया उत्पादों के पोषणी मूल्य, डॉ. सिन्हा ने कृषि उत्पाद प्र–संस्करण, डॉ. एम. यासीन ने दलहनी फसलों की नयी किस्मों, डॉ. ओ.पी. दुबे ने प्रदेश में उगाई जाने वाली लघु धान्य फसलों में कोदो कुटकी, रागी, सावां, चीना और कंगनी फसलों के विशेष गुणों पर प्रकाश डाला। श्री दुबे ने कहा जीआई टेग मिलने से आदिवासी अंचल के किसानों की आय में वृद्धि होगी।

एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर सम्पन्न

रतलाम। शिक्षा प्रशिक्षण द्वारा कर्मचारियों के कार्य में दक्षता आती है। उन्हें नई–नई जानकारियां मिलती है, जिससे सहकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली सुव्यवस्थित होती है तथा उसमें गति आती है।

उक्त विचार वरिष्ठ पत्रकार जिला सहकारी संघ के अध्यक्ष शरद जोशी ने एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए कही। जिला सहकारी संघ द्वारा ताल शाखा के अन्तर्गत आने वाली प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के प्रबंधक व सहायक प्रबंधकों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन ताल फन्टे पर किया गया।

इस अवसर पार श्री जोशी ने कहा कि वर्तमान समय में कर्मचारियों को धैर्य रखकर अनुशासन से कार्य करना चाहिये। प्रशिक्षण शिविर को जिला सहकारी संघ के क्षेत्रीय संचालक धीरेन्द्रसिंह राठौर ने संबोधित करते हुए कहा कि रतलाम जिले की सहकारी समितियों के कर्मचारी अच्छा कार्य कर रहे है। यहॉ के कर्मचारियों का अपने सदस्यों के प्रति अच्छा व्यवहार है। सदस्यों को भी संस्था की ऋण वसूली में सहयोग करना चाहिये व समय पर ऋण जमा करना चाहिये।

संघ के मुख्य कार्यपालपन अधिकारी अनिरूद्ध शर्मा ने कहा कि अनेक सहकारी संस्थाएं इन दिनों आर्थिक कठिनाई के दौर से गुजर रही हैं, ऐसी स्थिति में कर्मचारी साथियों को और अधिक मेहनत, लगन व धैर्य के साथ कार्य करना होगा। समय परिवर्तनशील है, हमें सदैव सकारात्मक सोच रखनी चाहिये। कर्मचारियों को टेक्नालॉजी के साथ तालमेल बनाना चाहिये, जितनी जल्दी हम बदलते समय के साथ उपकरणों का उपयोग सीखेंगे उतनी कार्य में आसानी होगी।

इस अवसर पर जिला सहकारी संघ के संचालक प्रेमसिंह डोडिया, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा ताल के पर्यवेक्षक रमेशचन्द्र प्रजापत, संस्था प्रबंधक ताल पुष्पेन्द्रसिंह राठौर, सहायक प्रबंधक संस्था खारवाखुर्द जगदीश शर्मा, सहायक प्रबंधक संस्था माधौपुर घनश्याम बैरागी ने भी संबोधित किया।

संस्था कछालिया के सहायक प्रबंधक सचिन भट्ट ने तनावमुक्त रहकर कार्य कैसे किया जाए इस पर विचार रखे साथ ही संस्था के कर्मचारियों का संस्था सदस्यों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिये इस पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन जिला सहकारी ासंघ के जनसंपर्क अधिकारी पिंकेश भट्ट ने किया तथा अंत में आभार प्रदर्शन प्रहलादसिंह चन्द्रावत ने किया।

किसानों के लिए वरदान बनी सौर ऊर्जा

रायसेन जिले में अनेक किसानों के लिए सौर ऊर्जा वरदान बन गई है। किसानों को अब खेतों में सिंचाई के लिए बिजली के भरोसे नहीं रहना पड़ रहा है। किसानों द्वारा अपने खेतों में सौलर पैनल लगवाकर सौर ऊर्जा से कृषि पम्प के माध्यम से सिंचाई का कार्य किया जा रहा है। रायसेन जिले के 870 किसानों ने अपने खेतों पर सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर पंप लगवा लिए है, जिससे अब वे बिना किसी परेशानी के ट्यूबवेल चला रहे हैं। इसके साथ ही तीन हजार से अधिक किसानों ने अपने खेतों में सौलर पम्प लगवाने के लिए आवेदन किए है।

रायसेन जिले के ग्राम मेहगांव निवासी श्री जीतेन्द्र बघेल भी उन किसानों में शामिल हैं, जिन्होंने अपने खेत पर सौलर पम्प लगवाया है। श्री जीतेन्द्र बघेल ने बताया कि पहले उन्हें सिंचाई के लिए बिजली पर ही निर्भर रहना पड़ता था। कई बार उन्होंने रात–रात भर जागकर खेतों में सिंचाई की है। लेकिन जब से उन्होंने सौलर पम्प लगवाया है तब से उन्हें सिंचाई के लिए परेशान नहीं होना पड़ रहा है।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई–8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक – म.प्र./भोपाल/357/2018-20 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।